

ई. सी. ओ-05

स्नातक उपाधि कार्यक्रम  
(बी. डी. पी)

सत्रीय कार्य

2022—2023

वाणिज्य में ऐच्छिक पाठ्यक्रम  
ई. सी. ओ-05: व्यापारिक सन्नियम

जुलाई 2022 तथा जनवरी 2023 प्रवेश सत्र के लिए



प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ  
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली – 1100 68



**वाणिज्य में ऐच्छिक पाठ्यक्रम**  
**ई. सी. ओ-05 : व्यापारिक सन्नियम**  
**सत्रीय कार्य – 2022–2023**

प्रिय छात्र/छात्राओं,

जैसा कि कार्यक्रम दर्शिका में स्पष्ट किया गया है, इस कार्यक्रम में आपको प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक सत्रीय कार्य करना है। सभी सत्रीय कार्य आपको एक साथ भेजे जा रहे हैं।

अंतिम परीक्षा में सत्रीय कार्य के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। सत्रांत परीक्षा में बैठने योग्य होने के लिए यह आवश्यक है कि समय सूची के अनुसार आप इन सत्रीय कार्यों को पूरा करके भेज दें। सत्रीय कार्य को करने से पहले आपको चाहिए कि कार्यक्रम दर्शिका में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसे आपके पास अलग से भेजा गया है।

यह सत्रीय कार्य दो प्रवेश सत्र अर्थात् **(जुलाई 2022 और जनवरी 2023)** के लिए वैध है, इसकी वैधता निम्नलिखित है :-

1. जो **जुलाई 2022** में पंजीकृत है उनकी वैधता **जून 2023** तक है।
2. जो **जनवरी 2023** में पंजीकृत है उनकी वैधता **दिसंबर 2023** है।

यदि आप जून सत्रांत परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो इन्हें **15 मार्च** तक अवश्य जमा कर दें। यदि आप दिसम्बर सत्रांत परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है कि आप इन्हें **15 सितम्बर** तक अध्ययन केंद्र के संयोजक के पास जमा कर दें।

अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य

---

पाठ्यक्रम का कोड	:	ई. सी. ओ. -05
पाठ्यक्रम का शीर्षक	:	व्यापारिक सन्नियम
सत्रीय कार्य का कोड	:	ई. सी. ओ. -05/टी. एम. ए./ 2022-2023
खण्डों की संख्या	:	सभी खण्ड

---

अधिकतम अंक : 100

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. प्रस्ताव एवं स्वीकृत के संप्रेक्षण तथा उनके खंडन संबंधी नियमों का वर्णन कीजिए। (20)
2. (क) “सत्य के लिए मौन रहना कपट नहीं है” टिप्पणी कीजिए। (10)  
(ख) सांयोगिक अनुबंध क्या होते हैं? सांयोगिक अनुबंधों के प्रवर्तन संबंधी नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। (10)
3. (क) “प्रत्यायोजित अधिकारों का और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता” एजेंसी के संबंध में इस नियम के परिणाम बताइए तथा इस नियम के अपवाद बताइए। (10)  
(ख) साझेदारी फर्म के विघटन पर साझेदारों के अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए। (10)
4. (क) उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब स्वामी के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति वैध गिरवी कर सकता है। (10)  
(ख) वैध प्रतिफल के कानूनी नियमों की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (10)
5. माल की सुपुर्दगी से आप क्या समझते हैं ? माल की सुपुर्दगी संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए। (20)